भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **954** जिसका उत्तर

गुरूवार, **27 जून**, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

954. श्री राजीव प्रताप रूडीः

श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवाः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वाणिज्यिक पोत परिवहन यातायात के लिए अनेक नए और लघु पत्तनों और अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पत्तनों और जलमार्गों के विकास पर किए जाने वाले निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बिहार के विशिष्ट संदर्भ में और विशेष रूप से सारण जिले के संदर्भ में और विशेष रूप से सारण जिले के संदर्भ में अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने का उपाय किया गया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के छोटे पत्तनों पर यातायात में वृद्धि देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ पत्तन उनकी क्षमता से अधिक कार्गो हैंडिल कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पत्तनों पर यातायात व्यवधान को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : महापत्तन केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं जबकि गैर-महापत्तन संबंधित समुद्री बोर्डों/राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महापत्तनों की स्थापित क्षमता उनके द्वारा संभलाई किए जाने वाले कार्गो के लिए पर्याप्त मानी गई है। अत: फिलहाल, सरकार के पास नए लघु महापत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जलमार्ग परिवहन माध्यम की संपूर्ण क्षमता को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलमार्गों का एक नेटवर्क सृजित करने के उद्देश्य से 111 अंतर्देशीय जलमार्गों (मौजूदा 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम,2016 के तहत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया गया है। पोत परिवहन एवं नौचालन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, जिसमें जेट्टियों, नौचालन सहायता, फेयरवे आदि का निर्माण/विकास शामिल है, चरणबद्ध रूप से शुरू किया गया है। जलमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2019-20 में 614.56 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया है।

(ग) : राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) का लगभग 400 कि.मी. जलखंड बिहार (मनीहारी से बक्सर) से हो कर गुजरता है। जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के क्षमता आवर्धन के लिए विविध विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय जलमार्ग-1 से उत्तरी बिहार के साथ-साथ नेपाल तक कार्गो के आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार के सारण जिले के कालूघाट पर एक इंटरमॉडल टर्मिनल की स्थापना करना भी शामिल है। कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बिहार सरकार के साथ शुरू की गई है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के गैर-महापत्तनों में संभाले गए यातायात का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ड.) : जी, नहीं। वर्ष 2018-19 के दौरान महापत्तनों और गैर-महापत्तनों पर क्षमता के उपयोग का ब्योरा (राज्यवार) **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च) : दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार महापत्तनों की स्थापित क्षमता 1514.09 एमटीपीए है जोकि महापत्तनों में मौजूदा कार्गो यातायात की संभलाई करने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2018-19 के दौरान महापत्तनों द्वारा संभाला गया यातायात 699.05 एमटी है।

पत्तनों को नई प्रौद्योगिकियों के अनुरूप रखने और व्यापार (यातायात) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में महापत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ नए बर्थों और टर्मिनलों का निर्माण, मौजूदा बर्थों और टर्मिनलों का यांत्रिकीकरण, पत्तन चैनलों में बड़े जलयानों को लाने के लिए डुबाव को और गहरा बनाने के लिए कैपिटल ड्रेजिंग, सड़क एवं रेल संपर्कता का विकास आदि करना शामिल हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान गैर-महापत्तनों में संभाला गया यातायात तथा वर्ष 2018-19 के दौरान महापत्तनों और गैर-महापत्तनों में क्षमता का उपयोग (राज्यवार)

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान गैर-महापत्तनों में यातायात			
क्र.सं.	वर्ष	यातायात (मिलियन टन में)	% वृद्धि
1	2015-16	465.871	
2	2016-17	485.214	4.2
3	2017-18	529.089	9.0
4	2018-19*	578.503	9.3

स्रोत : राज्य मैरीटाइम बोर्ड/पत्तन निदेशालय

वर्ष 2018-19 के दौरान महापत्तनों में क्षमता का उपयोग (मिलियन टन)				
क्र.सं.	पत्तनों का नाम	क्षमता	यातायात*	क्षमता उपयोग(%)
1	कोलकाता पत्तन न्यास	82.570	63.760	77.2
2	पारादीप पत्तन न्यास	239.000	109.275	45.7
3	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	131.090	65.301	49.8
4	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	91.000	34.497	37.9
5	चेन्नई पत्तन न्यास	134.000	53.012	39.6
6	वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास	111.460	34.341	30.8
7	कोचिन पत्तन न्यास	78.600	32.022	40.7
8	नव मंगलूर पत्तन न्यास	98.000	42.510	43.4
9	मुरगांव पत्तन न्यास	63.400	17.683	27.9
10	मुंबई पत्तन न्यास	79.000	60.588	76.7
11	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	138.870	70.706	50.9
12	दीनदयाल पत्तन न्यास	267.100	115.402	43.2
	कुल	**1514.090**	**699.097**	**46.2**

स्रोत : क्षमता के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का विकास विंग तथा यातायात के लिए महापत्तन

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-महापत्तनों में क्षमता का उपयोग (राज्यवार) (मिलियन टन)				
क्र.सं.	पत्तनों का नाम	क्षमता	यातायात*	क्षमता उपयोग
1	गुजरात	542.000	396.885	73.2
2	महाराष्ट्र	102.400	44.427	43.4
3	तमिलनाडु	2.150	0.959	44.6
4	गोवा	0.020	0.015	75.0
5	केरल	0.550	0.204	37.1
6	कर्नाटक	17.800	0.722	4.1
7	आंध्र प्रदेश	178.000	105.626	59.3
8	ओडिशा	47.500	19.305	40.6
9	पुदुच्चेरी	16.900	8.439	49.9
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.000	1.921	64.0
	कुल	**910.320**	**578.503**	**63.5**

स्रोत : राज्य मैरीटाइम बोर्ड/पत्तन निदेशालय

* अनंतिम

*****